28/1

बाढ़/तत्काल

कार्यालय जिलाधिकारी, औरैया।

पत्रांक: 2136/दै0आ0–आपदा प्रबंधन–बाढ़/2021–22 दिनांक: अगस्त 14 ,2021

विषयः मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0 सरकार द्वारा दिनांक 09.08.2021 को जनपद औरैया में आई बाढ़ की समीक्षा बैठक में दिये गये निर्देशों की अनुपालन आख्या उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

उप जिलाधिकारी (नाम से)
औरैया/अजीतमल।

कृपया उपर्युक्त विषयक के सम्बन्ध में मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0 सरकार द्वारा जनपद औरैया में आई बाढ़ की समीक्षा बैठक दिनांक 09.08.2021 को दिये गये निर्देशों की अनुपालन आख्या उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं कि

1. जो राजस्व ग्राम(मजरा सहित) जनपद में प्रति वर्ष यमुना नदी में जल स्तर चेतावनी बिंदु 112/खतरे का बिन्दु 113 मीटर आ जाने पर ही जलमग्न हो जाते हैं, उन्हें ऊंचाई वाले स्थानों पर भूमि आवंटित करने के निर्देश दिये गये हैं।

अस्तु उक्त के सम्बन्ध में निम्न बिन्दुओं का अनुपालन कर एक सप्ताह के अन्दर अनुपालन आख्या अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें–

1. राजस्व विभाग/सिंचाई विभाग के साथ सर्वे कर लिया जाय कि कौन सा राजस्व ग्राम अथवा उसका कोई मजरा अथवा राजस्व ग्राम/मजरा के कुछ आवास सर्वाधिक नीचे बसे हुए है, जो यमुना नदी में 112/113 मीटर पानी आने पर ही जलमग्न हो जाते हैं।
2. ऐसे प्रभावित होने वाले राजस्व ग्राम/मजरा/नीचे बने हुए आवासों को ऊंचे स्थानों पर पुनर्स्थापित किये जाने हेतु ग्रामसभा की भूमि चिन्हित कर ली जाय।
3. ऐसे ग्राम में ग्राम सभा की भूमि उपलब्ध है तो ऐसे ग्रामों/मजरों/नीचे बने हुए आवासों के निर्माण हेतु ग्राम सभा की बैठक बुलाकर प्रभावित परिवार को आवास स्थल आवंटन किया जाय, जिन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास निर्माण हेतु सूची बद्ध किया जा सके।
4. जिन ग्रामों में ग्राम सभा की सामान्य भूमि आवंटन हेतु उपलब्ध नहीं है, तो देख लिया जाय कि उसकी न्याय पंचायत में भूमि उपलब्ध हो तो उसका आवंटन किया जाय।
5. जिन ग्रामों/न्याय पंचायत में सुरक्षित श्रेणी/वन विभाग की भूमि उपलब्ध है तो किस श्रेणी है, उसे विनिमय के आधार पर प्रभावित परिवारों को उपलब्ध कराये जाने हेतु ग्राम सभा में प्रस्ताव पास कराकर विनिमय का पूर्ण प्रस्ताव प्रेषित किया जाय।
6. ऐसे ग्राम जहां केवल वन विभाग की ही भूमि उपलब्ध है, तो अभिलेखों के आधार पर सर्वे एस0डी0ओ0 फोरेस्ट/फोरेस्ट सेटिलमेंट आफीसर के साथ ग्राम सभा से प्रस्ताव पास करते हुए विनिमय का प्रस्ताव भेजा जाय। ताकि शासन को उक्त प्रस्ताव भेजा जा सके।

उक्त बिन्दुओं की अनुपालन आख्या प्रत्येक दशा में दिनांक 22.08.2021 तक अनिवार्य रूप से इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

भवदीया,

14/08

(रेखा एस0 चौहान)
अपर जिलाधिकारी,
औरैया।

पत्रांक व दिनांक उपरोक्त।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी महोदय को सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।

16/8/21

प्रभागीय वनाधिकारी
औरैया वन प्रभाग–औरैया

तहसीलदार
औरैया

30/6/22

तहसीलदार
औरैया।

28/2

2. प्रभागीय वनाधिकारी, औरैया को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।
3. अधिशासी अभियंता, सिचाई खण्ड औरैया स्थान दिबियापुर को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

14/08

अपर जिलाधिकारी,
औरैया।

30/01/22

तहसीलदार
औरैया

प्रभागीय वनाधिकारी
औरैया वन प्रभाग-औरैया

तहसीलदार
औरैया।

अनुपालन कार्यवृत्त

2. बाढ़ प्रबन्धन

- मण्डलायुक्त ने मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा जनपद औरैया व इटावा में बाढ़ के दौरान भ्रमण के समय स्थानीय मा0 जनप्रतिनिधियों द्वारा उठाये गये बिन्दु के शत–प्रतिशत अनुपालन किये जाने के निर्देश दिये गये।
- जनपद औरैया में विगत 10 वर्षों में बाढ़ के समय बार–बार जलमग्न हो रहे ग्रामों की प्रभावित आबादी को उच्चीकृत स्थलों पर बसाये जाने हेतु मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा दिये गये निर्देश के क्रम में एक सप्ताह में प्रस्ताव मय डाटा संख्या व प्रभावित जनसंख्या के साथ शासन को अनिवार्य रूप से प्रेषित किये जाने के निर्देश दिये गये।
- जनपद इटावा में बाढ़ के दौरान मा0 मुख्यमंत्री जी ने अपने भ्रमण के समय नावों व पुलिस बल की संख्या बढ़ाये जाने के निर्देश दिये गये थे, जिसके अनुपालन से शासन को अवगत कराने विषयक आख्या प्रेषित की जाय।
- बाढ़ उपरान्त पानी उतरने के बाद प्रभावी क्षेत्रों में सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा साफ–सफाई, सैनीटाइजेशन व ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव कराये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने के निर्देश दिये गये।
- बाढ़ से क्षतिग्रस्त कृषि योग्य भूमि, बोया गया कृषि योग्य क्षेत्रफल, क्षतिग्रस्त मकान/झोपड़ी, पशुहानि, जनहानि का आंकलन कर राहत पहुँचाये जाने के सम्बन्ध में कृत कार्यवाही के अभिलेखीयकरण कराये जाने के निर्देश सम्बन्धित जनपदों के जिलाधिकारी को दिये गये।

3. गौवंश संरक्षण स्थल सत्यापन

- मुख्य सचिव, उ0प्र0, शासन के कार्यालय पत्र संख्या–628 दिनांक 09 अगस्त, 2021 द्वारा दिये गये निर्देश के क्रम में समस्त गौवंश संरक्षण स्थलों के सत्यापन में पाई गयी कमियों यथा चारा, भूसा, पानी, चिकित्सीय परीक्षण, गौवंश गणना पंजिका में प्रविष्टि अद्यावधिक किया जाना व पशुओं के अन्त्येष्टि की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने की समीक्षा के क्रम में जनपद औरैया में 27, इटावा में 20, फर्रुखाबाद में 01 व कानपुर देहात में 09 गौवंश संरक्षण स्थलों पर हरे चारे की कमी के प्रकरण को दूर किये जाने के निर्देश सभी सम्बन्धित जनपदों के जिलाधिकारी को दिये गये। साथ ही यह भी अपेक्षा की गयी कि समय–समय पर नोडल अधिकारी नामित करते हुये सत्यापन कार्य कराया जाय।
- मण्डलायुक्त ने पशुओं के शवों के निस्तारण समुचित ढंग से कराये जाने के निर्देश दिये गये। समाचार पत्रों में इसके विपरीत समाचार प्रकाशित होने की दशा में सम्बन्धित विभागीय अधिकारियों का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाय। इस सम्बन्ध में मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, खण्ड विकास अधिकारी व नायब तहसीलदार की टीम गठित कर समय–समय पर पशुओं के निधन पर कारणों का पता लगाये जाने हेतु निर्देशित किया जाय।
- गौवंश संरक्षण स्थल पर जलभराव, खड़ंजा निर्माण, नांदी एवं चरही, गोबर निस्तारण, विद्युत कनेक्शन की कमी को दूर करने के साथ–साथ स्थल पर साफ–सफाई की विशेष व्यवस्था सुनिश्चित कराने के निर्देश दिये गये। यह भी अपेक्षा की गयी कि केयर टेकर की समुचित तैनाती कर मानदेय की व्यवस्था सुनिश्चित करायी जाय।

प्रभागीय वनाधिकारी
औरैया वन प्रभाग–औरैया

तहसीलदार
औरैया

- गोवंश पशुओं के भरण–पोषण हेतु जनपदों को वांछित अवशेष धनराशि यथा जनपद फर्रुखाबाद धनराशि रु0 589.38 लाख, कानपुर नगर रु0 239.15 लाख, औरैया रु0 361.00 लाख, कन्नौज रु0 323.63 लाख, इटावा रु0 508.00 लाख व कानपुर देहात में रु0 357.00 लाख की आवश्यकता के सम्बन्ध में प्रभावी कार्यवाही करते हुये बजट उपलब्धता के सम्बन्ध में अपने स्तर से पत्राचार सुनिश्चित किया जाय एवं दिनांक 16.08.2021 को मुख्य सचिव, उ0प्र0, शासन की प्रस्तावित वर्चुअल समीक्षा बैठक में इस बिन्दु को भी संज्ञानार्थ प्रस्तुत किया जाय।

4. जल स्रोत संरक्षण

- समीक्षा के दौरान अवगत कराया गया कि दिनांक 11 जुलाई से 10 अगस्त, 2021 तक प्रथम चरण के रुप मे प्रस्तावित कार्यवाही के अनुपालन सम्बन्धी आख्या समस्त जनपदों द्वारा उपलब्ध करा दी गयी है, किन्तु आख्या के अवलोकन से पाया गया कि जनपदों द्वारा इस सम्बन्ध में समुचित ढंग से यथा डाटा तैयार करना, स्थलीय सत्यापन कराया जाना व सत्यापन उपरान्त अतिक्रमित गाटा को कब्जा मुक्त कराने के सम्बन्ध में कार्यवाही नही की गयी है। यह भी निर्देश दिये गये थे कि सम्बन्धित गाटा का अधिकारी भ्रमण कर फोटोग्राफ तैयार करेंगे, किन्तु जनपद फर्रुखाबाद, कन्नौज व औरैया को छोड़कर अन्य जनपदों द्वारा अपनी आख्या के साथ सम्बन्धित गाटा के फोटोग्राफ संलग्न कर प्रेषित नही किये गये है। साथ ही जनपद फर्रुखाबाद, कन्नौज व औरैया द्वारा प्रेषित फोटोग्राफ पर सत्यापनकर्ता अधिकारी का नाम, पदनाम, भ्रमण का दिनांक व हस्ताक्षर अंकित नही किये गये हैं, जबकि भविष्य में उक्त स्थलों को कब्जामुक्त कराने हेतु की गयी कार्यवाही के क्रम में मा0 न्यायालय में वाद दायर होने की दशा में प्रमाणिक अभिलेखीय साक्ष्य होंगें। समस्त जिलाधिकारियों को इस सम्बन्ध में विस्तृत चरणबद्ध फोटो युक्त आख्या भेजने के निर्देश दिये गये, जिसमें सत्यापनकर्ता अधिकारी के नाम, पदनाम, भ्रमण का दिनांक व हस्ताक्षर अंकित हो।
- मा0 सिविल न्यायालय व मा0 आयुक्त न्यायालय में उपरोक्त प्रकरणों के क्रम में लम्बित वादों की प्रभावी पैरवी कर निस्तारित कराने का प्रयास किया जाय। जनपद स्तर पर मानीटरिंग सेल की बैठक में उक्त बिन्दुओं को सम्मिलित कर समीक्षा करायी जाय।
- जनपद कानपुर नगर के सन्दर्भ में निर्देश दिये गये कि उक्त श्रेणी में सम्भावित गाटा का कानपुर विकास प्राधिकरण, नगर निगम व जिला प्रशासन के सीमान्तर्गत क्षेत्राधिकार का निर्धारण जिलाधिकारी साप्ताहिक बैठक कर सुनिश्चित करायें।

5. आई0जी0आर0एस0

- दिनांक 13.08.2021 तक के लम्बित एवं डिफाल्टर सन्दर्भों की समीक्षा की गयी, जिसमें स्थिति निम्नवत पायी गयी–

प्रभागीय वनाधिकारी
औरैया वन प्रभाग–औरैया

तहसीलदार
औरैया

तहसीलदार
औरैया।